THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c). During April, 1994 and January, 1955, exports of knitwears garments declined by 3·9 per cent as compared to exports during the corresponding period of the last year on account of various factors including recession in demand and infrastructural problems. After the imposition of excise duty on woollen and acrylic yarns in the Budget of 1994–95, some representations were received and considered. As a result, the Government increased the rate of draw back on knitwear garments from 5 per cent to 7·5 per cent in November, 1994.

(d) No separate data regarding excise duty collected on yarn used in knitwears is maintained.

Appointment of SEBI Chief

215. K. M. KHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Chief of Securities and Exchange Board of India (SEBI) has expired in the recent past;

(b) whether it is a fact that the deceased Chief was very expert in Financial Management and Economic Planning;

(c) whether Government propose to appoint Chief of SEBI with multi-qualities as the deceased one had; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY): (a) Shri S. S. Nadkarni, the former Chairman of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) passed away on 31-1-1995.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). Government has appointed Shri D. R. Mehta, who was earlier the Dy. Governor, RBI, as Chairman, SEBI on 17-2-1995. Shri Mehta assumed office of the Chairman on 21-2-1995. Shri Mehta has wide experience of working in the financial sector and satisfies the eligibility criteria prescribed for the office of the Chairman, in the SEBI Act, 1992.

व्यापारिक घरानों को दिया गया ऋण

216. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दस शीर्ष व्यापारिक घराने कौन-कौन से हैं ;

(ख) इन कंपनियों को प्रत्येक वित्तीय कंपनी/सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितना-कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा इनमें से प्रत्येक घराने को कितना-कितना ऋण दिया गया ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों/ऋण के पुनर्भुगतान में किन-किन व्यापारिक घरानों से चूक हुई;

(ङ) क्या इन व्यापारिक घरानों पर इस चूक के कारण कोई अधिक जुर्माना लगाया गया ;

(च) यदि हां, तो उनसे वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (छ) प्रश्न में बड़े औद्योगिक घरानों को वर्गीकृत करने के मानदंडों को स्पष्ट नहीं किया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निधि आधारित सीमाओं के आकार के अनुसार क्रम प्राप्त दस बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा 31 मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सीमाएं क्रमशः 11,945.99 करोड़ रुपए और 7,043.59 करोड़ रुपए थीं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है ।

बैंक/वित्तीय संस्थायें निर्धारित किए गए अपने नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी देय राशियों की वसूली करने के लिए कार्रवाई करती हैं । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के देय ऋणों पर शीघ्र न्यायनिर्णय देने तथा उनकी वसूली को सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया ताकि बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली की जा सके । बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करने वाले ऋणकर्ताओं से संबंधित सूचना प्रकट करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अप्रैल, 1994 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं । इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ऋणकर्ता खातों का ब्यौरा, जिन्हें संदिग्ध, हानि और एक करोड़ रुपए या अधिक की बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) वाले मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सूचना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करने का प्रावधान है ताकि वे उस सूचना का इस समय उपयोग कर सकें जब वे वर्तमान और नए ग्राहकों द्वारा की गई नई अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोधों पर विचार कर रहे हों । इस प्रकार एकत्र की गई सूचना के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बुकलेट फार्म में ऐसे ऋणकर्ता खातों की सूची प्रकाशित की है जिनके विरुद्ध बैंकों ने निधियों की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए हैं (31 मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार) । बुकलेट की एक प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में रखी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती

217. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोगों को श्रेणीवार भर्ती किया गया है ;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चालू वर्ष के दौरान अब तक अन्य पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति भर्ती किए गए हैं ; और उनका श्रेणी-वार प्रतिशत कितना है ; और

(ग) 31 मार्च, 1994 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिलाओं का श्रेणी-वार प्रतिनिधित्व कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।